**प्रेस नोट          पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद          दिनांक 29.10.2025**

# थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में टप्पेबाजी की घटना को कारित करने वाले 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार व कब्जे से घटना से सम्बन्धित 11000 रूपये नकद, एक मोबाइल फोन, एक अदद आधार कार्ड ,03 अवैध तमंचा व 03 जिन्दा व 03 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद ।

दिनांक 29.10.2025 की रात्रि में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा विजयनगर कट नया बस अड्डा के पास चैकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान आटो सवार 03 बदमाशों को पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया किन्तु नहीं रूके। आटो सवार बदमाशों द्वारा आटो को डिवाइडर कट से मोड़कर कच्चा मार्ग फ्लाई ओवर की ओर जाने वाले रास्ते पर भगाने लगे। जिनका पीछा पुलिस टीम द्वारा किया गया बदमाशों ने आटो कच्चे मार्ग पर छोड़कर भागने का प्रयास किया तो पुलिस पार्टी द्वारा बदमाशों को रूकने व आत्मसर्मपण हेतु कहा गया लेकिन पुलिस पार्टी को अपनी ओर आता देख बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करते हुये भागने का प्रयास किया गया। जिसमें आत्मरक्षार्थ में पुलिस पार्टी द्वारा भी सिखलाये गये तरीके से बदमाशों पर फायरिंग की गयी जिसमें बदमाश राशिद उर्फ मुन्ना पुत्र छोटे खां निवासी मुनब्बर मस्जिद के पास निडोरा रोड राशिद गेट लोनी कमि0 गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष, परवेज पुत्र नियाज मोहम्मद निवासी रेहमद मस्जिद के पास टोली मोहल्ला लोनी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष तथा सादाब उर्फ मुस्तकिन पुत्र कल्लू निवासी टंकी वाला रोड अशोक विहार हड्डी फैक्ट्री के पास थाना लोनी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष घायल हो गये जिनके कब्जे से 01-01 अदद तमंचा, 01-01 खोखा कारतूस व 01-01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व टप्पेबाजी कर कुंडल की बिक्री के 11000 रूपये, एक मोबाइल फोन एवं पीडिता का आधार कार्ड तथा घटना में प्रयुक्त एक अदद आटो बरामद हुए। घायल अभियुक्तगण राशिद उर्फ मुन्ना, परवेज तथा सादाब उपरोक्त को उपचार हेतु जिला एमएमजी हॉस्पिटल गाजियाबाद में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

## पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि साहब हम लोग दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बाजार एवं भीड़भाड़ वाली जगह एवं आटो स्टेण्ड से महिला सवारियों को आटो में बिठाकर आगे पुलिस व कोरोना टीम की चैकिंग का भय दिखाकर उनके आभूषण व पैसों को बैग में रखवाकर बैग से आभूषण व पैसे चुरा लेते हैं। आभूषणों को बेचकर जो रूपये मिलते है उसे आपस में बांट लेते तथा अपने शौंक पूरे करते हैं। हमारे पास से जो आटो मिला है वही वह आटो हैं जिसमें हम सवारी को बिठाते हैं तथा घटना को अंजाम देते हैं। दिनांक 21.10.2025 को इसी आटो में एक महिला व 03 बच्चों को बिठाकर पुलिस /कोरोना टीम की चैकिंग का भय दिखाकर कान के कुंडल व मोबाइल फोन बातों में फसाकर बैग में रखवाकर बैग से चुरा लिये थे और उन्हीं कुंडलों की बिक्री से मिले पैसों को आपस में बांट लिये थे । आज भी हम लोग किसी अन्य घटना की फिराक में घूम रहे थे कि पुलिस द्वारा पकड़ लिये गये।

## नाम पता अभियुक्तः -

1. राशिद उर्फ मुन्ना पुत्र छोटे खां निवासी मुनब्बर मस्जिद के पास निडोरा रोड राशिद गेट लोनी कमि0 गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष।
2. परवेज पुत्र नियाज मोहम्मद निवासी रेहमद मस्जिद के पास टोली मोहल्ला लोनी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष।
3. सादाब उर्फ मुस्तकिन पुत्र कल्लू निवासी टंकी वाला रोड अशोक विहार हड्डी फैक्ट्री के पास थाना लोनी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष

**बरामदगी का विवरण:-**

1. कुंडल की बिक्री के 11000 रूपये
2. 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 03 अदद खोखा कारतूस
3. घटना में प्रयुक्त आटो रजि0 UP14KT 8091
4. एक अदद मोबाइल फोन वीवो कम्पनी
5. एक अदद आधार कार्ड (पीडिता)

**गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-**

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

## थाना निवाडी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 27.10.2025 को थाना निवाडी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त कृष्ण पुत्र महेश निवासी ग्राम रईसपुर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ गलत काम करना तथा उसे छत से धक्का दे देकर मौके से भाग जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाडी पर तत्काल सुसंगत धारा 65(2)/131/351(3)/115 (2) बीएनएस व 5m/6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 29.10.2025 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त कृष्ण पुत्र महेश निवासी ग्राम रईसपुर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त ने पूछताछ करने बताया कि पीडिता मेरी रिश्तेदार लगती है जिसके घर पर मेरा काफी समय से आना जाना है। मैं पीडिता के घर पर आया हुआ था और जब सब लोग सो गये तो मौका पाकर मैंने पीडिता के साथ गलत काम कर दिया था तथा उसे धक्का देकर मौके से भाग गया था।

**गिरफ्तार अभियुक्तका नाम व पता-**

कृष्ण पुत्र महेश निवासी ग्राम रईसपुर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद उम्र लगभग 21 वर्ष

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्त के विरुद्ध थाना कविनगर पर मारपीट के संबंध में अभियोग में 01 अभियोग तथा थाना निवाडी पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-**

थाना निवाडी पुलिस टीम।

## थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा छेड़छाड़ करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 28.10.2025 को थाना मोदीनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री, जो शुटिंग की खिलाडी है, के साथ छेड़छाड़ करना व पीछा करते हुये अभद्रता करना तथा उससे बात न करने पर धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 126(2)/74/351(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त अंकुर कुमार पुत्र संजीव कुमार निवासी नेहरु कॉलोनी मोदीपोन रोड थाना मोदीनगर गाजियाबाद, ग्राम नाला थाना कांदला जनपद शामली उम्र करीब 24 वर्ष को थाना क्षेत्र मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि मैंने पीडिता के साथ छेड़छाड़, अभद्रता व धमकी देने की घटना कारित कर दी थी।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

अंकुर कुमार पुत्र संजीव कुमार निवासी नेहरु कॉलोनी मोदीपोन रोड थाना मोदीनगर गाजियाबाद, ग्राम नाला थाना कांदला जनपद शामली उम्र करीब 24 वर्ष।

**आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग**

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तारी करने वाली टीम**–

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

## थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 03 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 ईको कार व 01 स्कूटी फर्जी नम्बर प्लेट लगी बरामद ।

दिनांक 28.10.2025 को समय करीब 23.05 बजे थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा ताज हाईवे बहरामपुर क्षेत्र मे अपराध व अपराधियो के नियन्त्रण हेतु चेकिंग की जा रही थी तभी मुखबिर खास ने सूचना दी कि वाहन चोरी करने वाले 03 चोर सर्विस रोड नगर निगम डम्पिंग ग्राउन्ड के पास चोरी की ईको कार व स्कूटी लेकर खडे हैं, इस सूचना पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम मौके पर पहुंची तथा वहां से अभियुक्त (1) पियूष उर्फ रॉकी उर्फ नोनू पुत्र रोहित उर्फ बिल्लू निवासी ओमकार सिंह के मकान में किराये पर, सिद्धार्थ विहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, मूल निवासी कस्तूरबा नगर दिल्ली उम्र 20 वर्ष (2) राहुल पुत्र धर्मपाल निवासी से0 43 सोम बाजार गली नं0 01 निकट ट्रांसफार्मर, मुर्गे वाली दुकान के पास किराये के मकान में गौतमबुद्धनगर मूल निवासी सागरपुर तुलसीराम बगीची wz1509 थाना मायापुरी दिल्ली उम्र 30 वर्ष व (3) अजय उर्फ वीरेन्द्र सहवाग पुत्र राजपाल निवासी राहुल के मकान में किराये पर सिद्दार्थ विहार निकट ताज हाइवे थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद मूल निवासी कस्तूरबा नगर थाना फर्श बाजार दिल्ली उम्र 36 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त गण के कब्जे से 01 ईको कार व 01 स्कूटी जिस पर फर्जी नम्बर प्लेट लगी है, बरामद हुई । ईको कार के बारे मे जानकारी करने पर पाया कि यह ईको कार 15 दिन पहले थाना टीलामोड़ से चोरी की गयी है व स्कूटी के बारे मे जानकारी करने पर पाया गया कि यह स्कूटी दिल्ली से चोरी की गयी है । अभियुक्तो से बरामद चोरी की ईको कार व स्कूटी (फर्जी नम्बर प्लेट) के सम्बन्ध मे थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 317(2)/345(3)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्तो के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

### पूछताछ विवरण-

अभियुक्तो से पूछताछ करने पर उनके द्वारा जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया गया कि हमसे जो ईको कार बरामद हुई है, यह ईको कार हमने 15 दिन पहले थाना टीलामोड़ गाजियाबाद क्षेत्र से चोरी की थी तथा जो स्कूटी हमसे बरामद हुई है, यह स्कूटी हमने दिल्ली से चोरी की थी । जिनको हम बेचने की फिराक मे लगे थे कि पुलिस मे हमे पकड़ लिया ।

### अभियुक्तो का नाम व पता

(1) पियूष उर्फ रॉकी उर्फ नोनू पुत्र रोहित उर्फ बिल्लू निवासी ओमकार सिंह के मकान में किराये पर, सिद्धार्थ विहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, मूल निवासी कस्तूरबा नगर दिल्ली उम्र 20 वर्ष ।

(2) राहुल पुत्र धर्मपाल निवासी सै0 43 सोम बाजार गली नं0 01 निकट ट्रांसफार्मर, मुर्गे वाली दुकान के पास किराये के मकान में गौतमबुद्ध नगर मूल निवासी सागरपुर तुलसीराम बगीची wz1509 थाना मायापुरी दिल्ली उम्र 30 वर्ष ।

(3) अजय उर्फ वीरेन्द्र सहवाग पुत्र राजपाल निवासी राहुल के मकान में किराये पर सिद्धार्थ विहार निकट ताज हाइवे थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद मूल निवासी कस्तूरबा नगर थाना फर्श बाजार दिल्ली उम्र 36 वर्ष ।

### बरामदगी का विवरण-

01 ईको कार (थाना टीलामोड गाजियाबाद से चोरी)
01 स्कूटी फर्जी नम्बर प्लेट लगी है (दिल्ली से चोरी)

## अपराधिक इतिहास –

अभियुक्तो के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक चोरी के वाहन बरामदगी व फर्जी नम्बर प्लेट के सम्बन्ध मे 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है व थाना टीलामोड गाजियाबाद पर चोरी का 01 अभियोग व ई थेफ्ट दिल्ली पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त राहुल उपरोक्त के विरुद्ध थाना बापूधाम गाजियाबाद पर 01 वाहन चोरी का अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

## गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।